<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 09.01.21</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

<u>थाना समाधान दिवस का हुआ आयोजन, 38 शिकायतों का किया गया सफल निस्तारण</u>

आज दिनांक 09-01-21 माह के द्वितीय शनिवार को जनपद के समस्त थानों पर "थाना समाधान दिवस" का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी खीरी,श्री शैलेन्द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल द्वारा थाना निघासन पर उपस्थित रहकर "थाना समाधान दिवस" की अध्यक्षता की गई। इस दौरान प्राप्त जनशिकायतों की सुनवाई कर त्वरित व निष्पक्ष जांच कराकर समयबद्ध रूप से विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

इसके अतिरिक्त समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा सर्किल मुख्यालय के थानों पर उपस्थित रहकर जनशिकायतों का निस्तारण कराया गया। इस दौरान जनपद के समस्त थानों पर कुल 86 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिनमें 38 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष प्रकरण के संबंध में टीम गठित कर जांच हेतु मौके पर भेजी गई।

थाना खीरी पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण कर 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 08-01-2021 को थाना खीरी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सुन्सी में सरजीत पुत्र शिव कुमार तिवारी निवासी सुन्सी का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई जिसमें पुलिस द्वारा तुरन्त मौके पर पहुंच कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम परीक्षण में मृत्यु का कारण "Strangulation" पाया गया। घटना के सम्बन्ध में मृतक के भाई प्रदीप कुमार तिवारी की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 07/2021 धारा 302 भादवि0 विरुद्ध अभियुक्तगण 1. शीला पत्नी स्व0 कन्हैयालाल व 2. हरपाल पुत्र चन्द्रमोहन निवासीगण ग्राम सुन्सी थाना व जिला खीरी पंजीकृत किया गया ।

दोनों नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया। शीला एवं हरपाल आपस में रिश्तेदार हैं और पड़ोस में रहते हैं। शीला के सरजीत और हरपाल दोनों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध थे। मृतक सरजीत की शीला के साथ घनिष्ठता के चलते, अभियुक्त हरपाल मृतक से रंजिश रखता था और दिनांक 07/08-01-21 की रात्रि हरपाल ने शीला के घर पर सरजीत को आपत्तिजनक अवस्था में देखा और उत्तेजित होकर सरजीत की गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में शीला की सहायता से शव को पास में ही धान के पुवाल में छिपा दिया था। मृतक की बेल्ट, जिससे उसका गला घोंटा गया था, वह घटनास्थल से बरामद हुई है।

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी को निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध समाज विरोधी क्रियाकलापों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना ईसानगर पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तों 1. निजामुद्दीन पुत्र इतवारी 2. सलीम पुत्र छैलू 3. जाहिद अली पुत्र बदलू 4. चन्द्रमा पुत्र गिरधारी 5. रामसागर पुत्र गणेश सर्वनि0गण गौरा झबरा थाना ईसानगर खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2260 रू0 नगद व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किए गए।

थाना मैलानी पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त भीमसेन को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना मैलानी पुलिस द्वारा अभियुक्त भीमसेन पुत्र रामऔतार नि0 काकोरी की मड़ैया थाना मैलानी खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किए गए। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 8/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा सहित अभियुक्त लवकुश यादव को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त लवकुश यादव पुत्र संतराम यादव नि0 सिंगारपुर महेवागंज थाना कोतवाली सदर खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 20/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित अभियुक्त मन्जू को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अभियुक्त मन्जू पुत्र बाबूराम नि0 नयागांव थाना मोहम्मदी खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 16/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना पसगवां पुलिस द्वारा अवैध तमंचा सहित अभियुक्त हंसराम को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना पसगवां पुलिस द्वारा अभियुक्त हंसराम पुत्र रामचरन नि0 ग्राम मुल्लापुर थाना पसगवां खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 एक अदद तंमचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके मा0 न्यायालय भेजा गया है।

थाना मितौली पुलिस द्वारा अवैध तमंचा सहित अभियुक्त भगवान दास को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना मितौली पुलिस द्वारा अभियुक्त भगवान दास पुत्र जीवन लाल निवासी मकसूदाबाद थाना मितौली खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 एक अदद तंमचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके मा0 न्यायालय भेजा गया है।

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 09.01.2021 को थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 08/21 धारा 354(क)(ख)/504/506 आईपीसी व 7/8 पॉस्को एक्ट से संबंधित अभि0 अंकुल पुत्र राजू निवासी ग्राम ठाकुरगंज थाना मैगलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया है।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>115 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार</u>** किया गया है। विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	**थाना**	**बरामदगी**	**गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या**
1.	थाना ईसानगर	30 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना मैलानी	30 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना फरधान	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना सम्पूर्णानगर	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना तिकुनिया	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना फूलबेहड़	05 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	115 लीटर	09 अभियुक्त गिरफ्तार